कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 381 /उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2016–17 दिनांक 04 जून 2016

विज्ञप्ति /प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त उप प्राचार्य पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में उप प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम /कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री श्रीकान्त अवस्थी	पी0जी0टी0 रसायन रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नैनीताल
2	डा0 मीना काला	प्रवक्ता डायट पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून
3	श्री जिया लाल यादव	प्रवक्ता जीव विज्ञान रा0इ0का0 चौरा हवालबाग अल्मोडा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार
4	श्री रातुल विजलवाण	पी0जी0टी0 भौतिक विज्ञान केन्द्रीय विद्यालय नई टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय टिहरी
5	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे	प्रवक्ता जीव विज्ञान रा0इ0का0 मजखाली अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उधम सिंह नगर
6	श्री विजय कुमार	प्रवक्ता अंग्रेजी रा0इ0का0 झिमार सल्ट अल्मोडा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अल्मोडा

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

04.06.2016

(आर0 के0 कुंवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्याः / 7218-31 /उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाऐं-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0/रा0क0इ0का0/रा0उ0मा0वि0/रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।

5.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।